Gmail **Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com>**

701538

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 31 July 2026 at 19:06
To: PADUM NARAYAN DWIVEDI <hearingcourts5.upic@up.gov.in>
Cc: ldartionline <ldartionline@gmail.com>

WRITTEN SUBMISSION BEFORE THE STATE INFORMATION COMMISSION, U.P. (Hearing Room S-5)

Appeal No.: S05/A/0512/2024 **Registration No.:** A-20240701538 **Appellant:** Shri Yogi M.P. Singh **Respondent:** Public Information Officer / Office of Lucknow Development Authority (LDA), Lucknow **Next Date of Hearing:** 19/08/2026

TO, THE HONOURABLE STATE INFORMATION COMMISSIONER, ROOM NO. S-5, RTI BHAWAN, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW.

SUBJECT: Written submission regarding continued non-service of the penalty notice dated 13.05.2026, continued withholding of information, and prayer for enforcement of the Commission's orders ahead of the hearing fixed for 19.08.2026.

HONOURABLE SIR,

I, Yogi M.P. Singh, the Appellant in the above-numbered second appeal, most respectfully submit as follows:

1. Brief Background

That the original RTI application (Registration No. LKDPA/R/2024/60085) was filed on 10.02.2024, and remained unanswered for nearly a year and a half before being arbitrarily rejected by the PIO on 16.07.2025 under U.P. RTI Rule 4(2)(b)(ii). That the present second appeal, filed on 20.07.2024, has since been listed before this Hon'ble Commission on at least eleven occasions (10.10.2024, 28.11.2024, 31.12.2024, 28.01.2025, 06.03.2025, 23.07.2025, 24.09.2025, 11.12.2025, 24.02.2026, 13.05.2026 and 09.06.2026), with the Respondent failing on every occasion either to furnish the information or to appear before the Commission with a written explanation.

2. Penalty Imposed but Not Served

That this Hon'ble Commission, taking serious note of the Respondent's persistent non-compliance and disregard of its earlier orders, was pleased to impose a penalty of Rs. 25,000/- on the Respondent PIO under Section 20(1) of the RTI Act, 2005, vide order dated 13.05.2026. That, however, upon a subsequent hearing on 09.06.2026, it was found that the notice of this penalty had never actually been served upon the Respondent PIO, and the Commission accordingly directed the office to issue the same afresh.

The Appellant respectfully submits that this is illustrative of the very pattern of administrative laxity and non-accountability that has characterised the Respondent's

conduct throughout these proceedings, and prays that the Commission confirm, at the ensuing hearing, that the penalty notice dated 13.05.2026 has now in fact been served on the Respondent, and that recovery proceedings for the said amount of Rs. 25,000/- have been initiated in accordance with law.

3. Information Still Withheld

That despite the passage of over two and a half years since the filing of the original RTI application, and despite the Commission's repeated directions, the Respondent has still not furnished any of the following information sought by the Appellant:

(a) Details of the title suit filed by Smt. Anuradha Singh (also referred to in LDA's records as Guddi Singh / Aradhana Singh) in respect of the plot(s) recorded in the name of Guddi Singh, including the name, designation and posting of the official(s) who executed the registry;

(b) A certified copy of the order passed by the competent court deciding the said title suit, in compliance with the directions of the Hon'ble High Court in Writ Petition No. 135 of 2006;

(c) The name, designation and posting details of the officials who executed the registry of the disputed plots to the allottees;

(d) Full details of the committee stated to have been constituted by the LDA to inquire into the alleged irregularities, including the names, designations and postings of its members, the date of its constitution, and the time-frame fixed for completion of its inquiry;

(e) Details of the government functionaries who nominated the said committee members.

4. Objection to the "Pending Committee Inquiry" as a Ground for Withholding Information

That the Respondent's communication dated 11.09.2025 (issued through Sri Ravi Nandan Singh, Special Officer, LDA) sought to justify the continued non-disclosure of information on the ground that an internal committee's inquiry was still pending and that the concerned parties were not appearing with documents. The Appellant respectfully reiterates his objection that:

(i) The pendency of an internal administrative inquiry cannot operate as an indefinite bar to disclosure of information under the RTI Act, 2005, particularly where the information sought (court orders, registry records, and the composition of the committee itself) already exists and requires no further "analysis, interpretation, or opinion" within the meaning of Rule 4(2)(b)(ii);

(ii) Even the basic details of the committee — its members, their designations, and the timeline given to it — have themselves been withheld, which suggests that the "committee" is being used as a shield rather than as a genuine mechanism of inquiry;

(iii) Nearly one year has passed since the committee was stated to have been formed (as of 11.09.2025), with no update whatsoever placed before this Hon'ble Commission regarding its findings or progress.

5. Prayer

In light of the above, the Appellant most respectfully prays that this Hon'ble Commission may be pleased to:

1. Confirm that the penalty notice dated 13.05.2026 (Rs. 25,000/- under Section 20(1)) has been duly served upon the Respondent PIO, and direct that recovery of the said amount be effected without further delay;
2. Direct the Respondent PIO to furnish, in certified form, all the information listed in Paragraph 3 above, within a time-bound period, and to place on record proof of such compliance before the Commission;
3. Call for a status report on the internal committee referred to in the communication dated 11.09.2025, including its composition and findings (if any) to date;
4. Recommend appropriate departmental/disciplinary action against the concerned officials under Section 20(2) of the RTI Act, 2005, for the sustained and willful obstruction of information over a period exceeding two years, notwithstanding repeated directions of this Hon'ble Commission;
5. Pass such further orders as this Hon'ble Commission may deem fit and proper in the interest of justice.

Verification: I, Yogi M.P. Singh, do hereby verify that the contents of the above submission are true to the best of my knowledge and are based on the record of proceedings in the present case.

Date: 31/07/2026 **Place:** Mirzapur / Lucknow

Respectfully submitted, **Yogi M.P. Singh**, Appellant Mobile: 7379105911 Email: yogimpsingh@gmail.com

On Wed, 8 Jul 2026 at 15:31, PADUM NARAYAN DWIVEDI <hearingcourts5.upic@up.gov.in> wrote:

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

7/7/ए, RTI भवन, विभूती खंड गोमती नगर लखनऊ

दिनांक : 08/07/2026

नोटिस संख्या :202607S05N200492 नोटिस प्रारूप - 2

अपील संख्या :S05/A/0512/2024 पंजीकृत संख्या : A-20240701538

अपीलकर्ता : योगी एमपी सिंह बनाम **विपक्षी** : जन सूचना अधिकारी

सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि : 19/08/2026

सेवा मे,

(1) योगी एमपी सिंह

अपीलकर्ता

योगी एमपी सिंह
पिता /पति का नाम : राजेंद्र प्रताप सिंह
पता-सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड मिर्जापुर सिटी
जिला - मिर्जापुर
पिनकोड -231001
मोबाइल नंबर-: 7379105911
ई-मेल- yogimpsingh@gmail.com
इ.यू.संख्या :EUIN

विपक्षी : (1)जन सूचना अधिकारी
,पता : पता :लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ
पिन कोड : 226012
मोबाइल नंबर-: 9918001893
ई-मेल- raz.9125@gmail.com
इ.यू.संख्या :EU801299340IN

चूँकि उपर्युक्त योगी एमपी सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत द्वितीय अपील दिनांक 20/07/2024 को प्रस्तुत की गई है थी, जिस पर अग्रेतर सुनवाई दिनांक 19/08/2026 को की जाएगी।

अतएव उपर्युक्त अपील में दिनॉक 09/06/2026 की सुनवाई में आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अपीलकर्ता सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त आदेश के अनुक्रम में वांछित कार्यवाही पूर्ण करते हुए आगामी सुनवाई दिनॉक 19/08/2026 हेतु निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व अपना लिखित कथन (ईमेल-hearingcourts5.upic@up.gov.in अथवा विभागीय पोर्टल- https://upsic.up.gov.in/) पर स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0 के फॉरमेट में मा0 राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या एस-5 के समक्ष कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृते पीठासीन अधिकारी
Rakesh Kumar Pushkar#541B2061BC9C8F6783DE2590BE595FF1
सु. एस-5
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
7/7ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अपील संख्या एस–05/ए/0512/2024	
अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री योगी एम0पी0 सिंह	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
समक्ष : श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।	
धारा	मांगी गई सूचना/अनुतोष
6(1)	आवेदक ने एल0डी0ए0 गुड्डी सिंह के अभिलेख में बहुनाम वाली महिला अनुराधा सिंह द्वारा दायर स्वामित्व वाद का विवरण प्रदान करें, जिसमें पदनाम, वाद निष्पादित करने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम और तैनाती का विवरण आदि के सम्बन्ध में सूचना चाही है।

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। उभयपक्ष अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को अपीलकर्ता को साशय सूचना न देने का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था, किन्तु आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की नोटिस प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी को जारी नहीं की गयी।

अतः कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक–13.05.2026 की प्रति संलग्न करते हुए प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी को व मण्डलायुक्त, लखनऊ को इस आशय से जारी की जाए कि वह आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक–13.05.2026 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। वाद वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 19.08.2026 को पेश हों।

09.06.2026

सागर

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

7/7ए, आर.टी.आई. भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

(अपील संख्याःएस-05/ए/0512/2024)

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री योगी एम पी सिंह	जनसूचनाधिकारी/कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

समक्ष : श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

धारा	मांगी गयी सूचना
6(1)	**प्रकरण-** एलडीए गुड्डी सिंह के अभिलेख में बहुनाम वाली महिला अनुराधा सिंह द्वारा दायर स्वामित्व वाद का विवरण प्रदान करें, जिसमें पदनाम, वाद निष्पादित करने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम और तैनाती का विवरण शामिल हो, एलडीए रिट याचिका संख्या 135, उच्च न्यायालय वर्ष 2006 के आदेश के अनुपालन में सक्षम न्यायालय द्वारा अनुराधा सिंह के स्वामित्व वाद पर पारित आदेश की प्रति इत्यादि सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता के मूल आवेदन धारा-6(1) के क्रम में वांछित सूचनाएं समयान्तर्गत उपलब्ध नही करायी गयी हैं।

पत्रावली का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी/**कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ** को आयोग द्वारा की गयी विगत सुनवाई तिथियों जैसे दिनांक– 24.02.2026, 11.12.2025, 24.09.2025, 23.07.2025, 19.05.2025, 06.03.2025, 28.01.2025, 31.12.2024, 28.11.2024, 10.10.2024 को दिये गये आदेश के कम में पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नही करायी गयीं एवं न ही उनके द्वारा कोई अपना लिखित अभिकथन प्रेषित किया गया, जिससे प्रकरण में वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके। इस कारण आयोग द्वारा दिनांक– 24.02.2026 को प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी/**कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ** को इस आशय से **कारण बताओ नोटिस** जारी की गयी थी कि वह आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर उक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित अभिकथन स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत रू0 250/– प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड रू0 25,000/– अधिरोपित कर दिया जायेगा, परन्तु प्रतिवादी पक्ष द्वारा न ही अपीलकर्ता को पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी और

विशाल

Scanned with OKEN Scanner

न ही वह आज सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इस प्रकार प्रतिवादी पक्ष का आचरण अधिनियम की मंशा के विपरीत पाया जाता है।

आदेश

उक्त स्थिति प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी/**कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ** को आयोग द्वारा पूर्व पारित आदेशों की अवहेलना किये जाने तथा अपीलकर्ता को साशय सूचनाएं उपलब्ध न कराये जाने का दोषी मानते हुए उनके विरुद्व सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20(1) के तहत रु0 25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।

साथ ही जन सूचनाधिकारी को एक अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई तिथि 09.06.2026 को बिन्दुवार सूचनाएं व अपने लिखित स्पष्टीकरण सहित आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और उनके विरूद्ध उक्तानुसार अधिरोपित अर्थदण्ड रू0 25,000/– की वसूली के आदेश के साथ–साथ अधिनियम की धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई किये जाने के आदेश पारित करके और प्रश्नगत अपील निस्तारित करते हुए प्रकरण निक्षेपित कर दिया जाएगा।

कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी/**कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ** को नोटिस के साथ आयोग द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक– 24.02.2026, 11.12.2025, 24.09.2025, 23.07.2025, 19.05.2025, 06.03.2025, 28.01.2025, 31.12.2024, 28.11.2024, 10.10.2024 की प्रति तथा आज पारित आदेश की प्रति भी संलग्न कर पंजीकृत डाक एवं ई–मेल के माध्यम से नोटिस प्रेषित की जाए।

साथ ही **उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, जनपद- लखनऊ** को आज पारित एवं आयोग के गत आदेश दिनांक–24.02.2026 की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि वह प्रश्नगत प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि पर स्वयं अथवा किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से स्पष्ट करें कि प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी/**कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ** द्वारा अपीलकर्ता को अभी तक सूचनाएं क्यों नहीं उपलब्ध करायी गयी तथा कृत कार्यवाही की आख्या आगामी सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

अपील वास्ते अगली सुनवाई हेतु दिनांकः **09.06.2026 को पेश हो।**

13.05.2026

यह आदेश दिनांक 8/6/26 को प्रेषित किया गया

आशु लिपिक

Scanned with OKEN Scanner